कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1279 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 01 अगस्त, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान के अन्तर्गत मतदाताओं को जारी किए जाने वाले नोटिस के वितरण एवं सुनवाई की प्रगति एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं की समीक्षा हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 01 अगस्त, 2026 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में राज्य के सभी जनपदों से निम्न अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे–

1. जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी

कार्यशाला के प्रारम्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रभावी एवं मतदाता–केंद्रित क्रियान्वयन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए :–

1. मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दस्तावेज प्राप्त करने एवं सुनवाई की कार्यवाही पूर्व निर्देशों के अनुसार यथासंभव संबंधित मतदान केन्द्र की सीमा के अंतर्गत ही संपादित की जाए, जिससे मतदाताओं को अनावश्यक असुविधा का सामना न करना पड़े।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दिनांक 25 अगस्त, 2026 तक केवल एसआईआर से संबंधित सुनवाई एवं निस्तारण के कार्यों (आपदा प्रबंधन, वीवीआईपी कार्यक्रम अथवा अन्य अत्यावश्यक शासकीय कार्य को छोड़कर) को शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
3. कतिपय स्थानों पर एक ही समय पर दो भिन्न मतदान केन्द्रों पर एक ही AERO की ड्यूटी निर्धारित किये जाने के प्रकरणों की समीक्षा कर सुनवाई कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण किया जाए, जिससे प्रत्येक मतदाता को पर्याप्त एवं पृथक समय उपलब्ध हो सके। आवश्यकता होने पर मतदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत सुनवाई की तिथि एवं समय का पुनर्निर्धारण भी किया जाए।
4. समस्त बीएलओ को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएँ कि नोटिस के सापेक्ष आयोग द्वारा निर्धारित 11 अनुमन्य दस्तावेजों में से किसी एक वैध दस्तावेज की प्राप्ति पर्याप्त होगी। मतदाताओं पर एक से अधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार का अनावश्यक दबाव न बनाया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मतदाता को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी माह अगस्त के दौरान सप्ताह में दो दिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद/बैठक आयोजित करें तथा उनसे प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों का परीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण के सुगम सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त बैठक के उपरान्त पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रस्तुतीकरण (PPT) के माध्यम से समस्त ERO, AERO एवं राज्य एवं जनपद स्तरीय मास्टर

ट्रेनरों को विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत नोटिस वितरण, दावे/आपत्तियों के निस्तारण एवं मतदेय स्थल स्तर पर सुनवाई की संपूर्ण प्रक्रिया का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्धारित समय–सारिणी, नोटिस जनरेशन एवं वितरण, सुनवाई की प्रक्रिया, दावे/आपत्तियों के निस्तारण तथा अंतिम निर्वाचक नामावली के प्रकाशन तक की संपूर्ण कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन किया गया। इसके साथ ही विभिन्न श्रेणी के मतदाताओं से अपेक्षित दस्तावेजों, अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, बीएलओ द्वारा दस्तावेज एवं रिपोर्ट अपलोड करने तथा ERO/AERO द्वारा सुनवाई के दौरान अभिलेखों के परीक्षण एवं निर्णय की प्रक्रिया का चरणबद्ध प्रशिक्षण दिया गया।

प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ERO Net पर नोटिस जनरेट करने, सुनवाई निर्धारित करने, मतदाता की उपस्थिति अंकित करने, दस्तावेजों का सत्यापन, आवश्यक होने पर अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने, No Mapping एवं Anomaly श्रेणी के प्रकरणों का निस्तारण, जिला निर्वाचन अधिकारी के सत्यापन हेतु प्रकरण अग्रसारित करने तथा अंतिम निर्णय ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही सुनवाई की प्रगति की नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग, डैशबोर्ड के माध्यम से समीक्षा तथा प्रत्येक मतदेय स्थल की प्रगति का सतत मूल्यांकन करने के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण के समापन पर सभी अधिकारियों को आयोग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR–2026) के समस्त कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं मतदाता–सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संपादित करने के निर्देश दिए गए।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या–1279/ XXV-25/2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

Meet – eiu-oqge-wgt
Ask Gemini
meet.google.com/eiu-oqge-wgt
Apps
CM Helpline
Gmail
Maps
News
Translate
Inbox (995) - rtpdep...
Requested Appoint...
myAadhaar - Uniqu...
elhi
All Bookmarks
11:37 | eiu-oqge-wgt
360
G
Gaurav Kumar
Atiya Parvez
H
Harish Chan...
District Chamoli Uttarakhand
जनपद-रुद्रप्रयाग
उत्तराखण्ड
DEO Rudraprayag
Manorama V...
M
Meenu
352 others
RTP D
27°C
Mostly cloudy
Search
ENG
IN
11:37
01-08-2026